राज्य के एजेंडे का रहस्य

आदिवासियों और वन निवासियों के दैनिक जीवन और संघर्षों को प्रभावित करने वाले कानूनों में बदलाव

प्रस्तावना
शोमोना खन्ना
आस्था सक्सेना

आगे की राह
सी. आर. बिजॉय

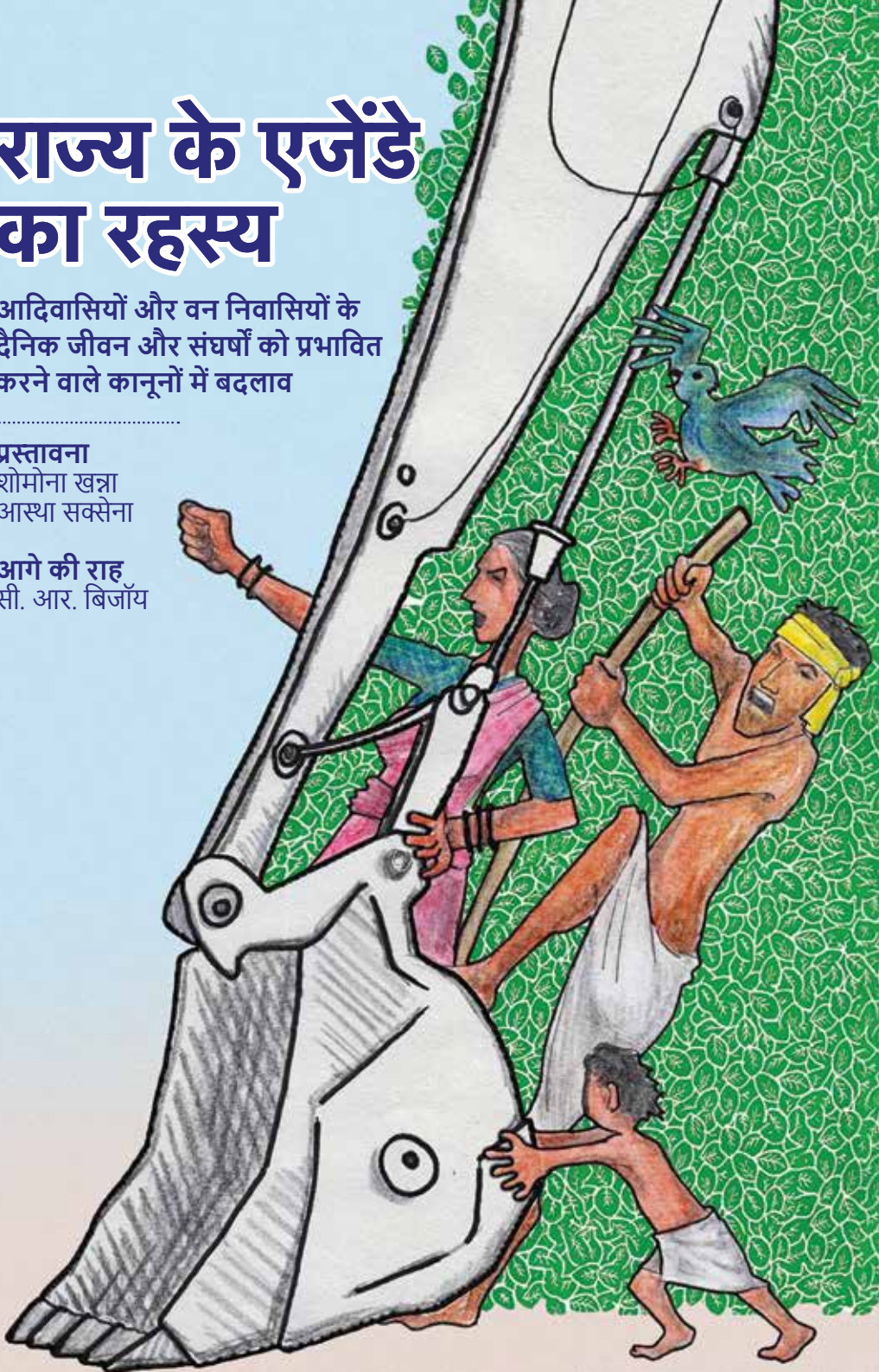

LEGAL RESOURCE
CENTRE

कॉपीराइट

© लीगल रिसोर्स सेंटर और संपादक 2025

सर्वाधिकार सुरक्षित।

इस पुस्तक में उल्लिखित विधायी विधेयक, अधिनियम, नियम, अधिसूचनाएँ, परिपत्र, योजनाएँ, दिशा-निर्देश, परामर्श पत्र और न्यायालय के आदेश सार्वजनिक स्रोतों से लिए गए हैं, अतः इन पर कोई कॉपीराइट लागू नहीं होता। हालाँकि, संपादकीय सामग्री, जैसे कि विश्लेषण, सारांश और टिप्पणियाँ, इन पर लेखकों का कॉपीराइट है, और इन्हें अनुमति एवं स्रोत का समुचित उल्लेख किए बिना उपयोग नहीं किया जा सकता।

टिप्पणी

इस पुस्तक में शामिल टिप्पणियाँ और विश्लेषण 10 सितंबर, 2025 तक लेखकों द्वारा तैयार किए गए हैं। प्रकाशन में दी गई कानूनी जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया गया है, फिर भी यदि इसका उपयोग विधिक कार्यवाही या वकालत में किया जाना हो, तो कृपया मूल स्रोत से पुष्टि कर लें। यह भी ध्यान दें कि इस पुस्तक के किसी भी भाग का कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तकनीकों या प्रणालियों के प्रशिक्षण हेतु किसी भी रूप में उपयोग या पुनरुत्पादन नहीं किया जा सकता।

आवरण चित्रण: अरुण फेरेरा

संपादक: शोमोना खन्ना एवं आस्था सक्सेना

हिन्दी अनुवाद: संजय कुमार

आवरण, लेआउट और टाइपसेटिंग: विजय नारंग

राज्य के एजेंडे का रहस्य

आदिवासियों और वन निवासियों के दैनिक जीवन और संघर्षों को प्रभावित करने वाले कानूनों में बदलाव

.....

प्रस्तावना: शोमोना खन्ना एवं आस्था सक्सेना
आगे की राह: सी. आर. बिजॉय

दस्तूर

हबीब जालिब

दीप जिस का महल्लात ही में जले
चंद लोगों की ख़ुशियों को ले कर चले
वो जो साए में हर मस्लहत के पले
ऐसे दस्तूर को
सुब्ह-ए-बे-नूर को
मैं नहीं मानता
मैं नहीं जानता

फूल शाख़ों पे खिलने लगे तुम कहो
जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो
चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो
इस खुले झूट को
ज़ेहन की लूट को
मैं नहीं मानता
मैं नहीं जानता

तुम ने लूटा है सदियों हमारा सुकूँ
अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फ़ुसूँ
चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यूँ
तुम नहीं चारागर
कोई माने मगर
मैं नहीं मानता
मैं नहीं जानता

विषय सूची

प्रस्तावना **3**

राज्य के एजेंडे का रहस्य **8**

संशोधनों / प्रस्तावित संशोधनों का कालक्रम 9

इन परिवर्तनों का आदिवासियों और अन्य वन-आश्रित समुदायों पर असर **26**

पूंजी को बढ़ावा देना 26

विकास का एक नया एजेंडा - राष्ट्रीय सुरक्षा 28

वनों और कार्बन का व्यावसायीकरण 29

पर्यावरणीय अप्राध और प्रदूषण का मौद्रिकरण 31

आदिवासियों और अन्य वन-निवासी समुदायों का सतत अपराधीकरण 32

निष्कर्ष **34**

आगे की राह **37**

शब्द संक्षेप (Acronyms) **40**

योगदानकर्ता **41**

प्रस्तावना

लीगल रिसोर्स सेंटर में हमारी प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक है वन संबंधी क़ानूनों में हो रहे परिवर्तन पर नज़र रखना, और यह समझना कि उनका असर आदिवासियों, वन निवासियों और अन्य हाशिये पर खड़े समुदायों पर किस प्रकार पड़ रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान, इस कार्य को एक नया आयाम मिल गया। महामारी ने न केवल हमारी भौतिक सीमाओं और भावनात्मक सहनशीलता की परीक्षा ली, बल्कि हमारे शोध के दायरे को भी बदल दिया। इसने मांग की कि हम, कानूनी शोधकर्ताओं के एक समूह के रूप में, अपने सुविधा क्षेत्र और विशेषज्ञता के क्षेत्रों से आगे बढ़ें, और व्यापक राजनीतिक ढांचे के भीतर वन कानूनों की जांच करें। बदलते विधिक परिदृश्य से जुड़ने के लिए हमने सबसे पहले इन अपरिचित कानूनी क्षेत्रों को संकलित करना, समझना और अंततः उनकी आलोचना करना शुरू किया। जैसे-जैसे ये कानूनी सुधार सामने आते गए, यह स्पष्ट होता गया की उभरती हुई 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में आदिवासी तथा अन्य वन निवासी समुदाय और अधिक हाशिये की ओर धकेले जा रहे हैं।

मार्च 2020 में जब राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा हुई, तब भारत की सामाजिक-आर्थिक संरचनाओं में मौजूद अनेकों असमानताएँ खुलकर सामने आ गईं। महामारी ने जाति, वर्ग और लिंग आधारित पक्षपात को इस तरह उजागर किया कि व्यवस्थागत भेदभाव का विश्लेषण अब केवल एक जटिल, शांत अभ्यास नहीं रह सकता था। प्रवासी मज़दूर संकट, स्वास्थ्य व्यवस्था की विफलता, और बढ़ती घरेलू हिंसा के बीच, राज्य की भूमिका मूल रूप से परिवर्तित हुई। संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 के अंतर्गत राज्य पर यह दायित्व है कि वह सामाजिक-राजनीतिक न्याय कायम करे और धन के वितरण में असमानताओं को दूर करे; राष्ट्रीय संकट की घड़ी में तो यह दायित्व और भी ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जो हमने देखा, वह इससे बिल्कुल अलग था।

राज्य ने कानूनी सुधार के लिए एक व्यापक अभियान चलाया था। शुरुआत में, प्रस्तावित सुधार छिटपुट और असमबंधित लग रहे थे। स्थापित कृषि कानूनों और

श्रम कानूनों में प्रस्तावित सुधारों ने काफ़ी ध्यान आकर्षित किया। कृषि कानूनों में संशोधनों की न केवल व्यापक आलोचना हुई, बल्कि हज़ारों किसान अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर पहुँच गए। इन कानूनों को निरस्त करने की उनकी मांग ने राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह ध्यान आकर्षित किया जैसा पहले कुछ ही संघर्षों ने किया था। पूरी तरह से नए श्रम कानून संहिताओं को लागू करके श्रम कानूनों को फिर से लिखने की भी व्यापक आलोचना हुई, हालाँकि यह कम उल्लेखनीय थी।

उसी वर्ष की शुरुआत में हमने अपनी नियमित निगरानी प्रक्रिया में पाया कि भूमि, संसाधनों और पर्यावरण से जुड़े क़ानूनों में भी व्यवस्थित रूप से संशोधन किए जा रहे थे, ताकि पर्यावरण और वन शासन के मूल संवैधानिक सिद्धांतों को बदला जा सके। खनन, जैव विविधता, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वन संरक्षण और अन्य विविध विषयों पर संसाधन प्रबंधन कानूनों में टुकड़ों-टुकड़ों में सुधार किए जा रहे थे। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि ये सारे टुकड़े एक ही सूत्र से जुड़े हुए हैं - और यह सूत्र हमारे देश के सबसे वंचित समुदायों पर ऐसे दूरगामी प्रभाव डालेगा जो तुरंत नज़र नहीं आते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने अक्सर इन सुधारों की प्रशंसा *औपनिवेशिक ढाँचे से मुक्ति* (decolonisation) के रूप में की, लेकिन जैसे ही हमने सारे बिंदुओं को जोड़ा, यह स्पष्ट हो गया कि राज्य की राजनीतिक विचारधारा में एक गहरा बदलाव चल रहा है। कानूनों में सुधार केवल सुधार नहीं थे, बल्कि यह देश के वन क्षेत्रों में सरकार और कॉरपोरेट प्रभुत्व को बढ़ाने की प्रक्रिया थी।

पिछले पाँच वर्षों में संसाधन प्रबंधन कानूनों में किए गए कानूनी सुधार भूमि, संसाधनों और लोगों पर राज्य का अधिक नियंत्रण स्थापित करने और निजी खिलाड़ियों के लिए रास्ता साफ़ करने की दिशा में किए गए हैं। सार्वजनिक परामर्श पत्रों में खुलकर स्वीकार किया गया कि इनमें से कई सुधार *व्यापार की सुगमता* (ease of doing business) को बढ़ावा देने के लिए हैं। खनन परियोजनाओं और वन भूमि के परिवर्तन (forest diversion) में तेज़ी आई है। 2020 और 2021 में व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए वन और पर्यावरण स्वीकृतियों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2023

की एक रिपोर्ट में पाया गया कि भारत में वनों की कटाई ब्राजील देश के बाद सबसे अधिक दूसरे स्थान पर थी, जो केवल पांच वर्षों में 668,400 हेक्टेयर थी।[1] 1980 के *वन संरक्षण अधिनियम* (जिसे अब *वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980* कहा गया है) में किए गए व्यापक बदलाव के साथ-साथ नए नियम और दिशा-निर्देश लाए गए। इन्होंने न केवल भारत के वन क़ानूनों की संरचना बदली, बल्कि चार दशकों में न्यायिक मिसालों द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों को भी समाप्त करने की कोशिश की। वन भूमि के गैर-वानिकी और वाणिज्यिक उपयोग से संबंधित निर्णय प्रक्रिया में भाग लेना आदिवासी और वन निवासी समुदायों का सबसे मूल अधिकार है। इन संशोधनों से इस मूल अधिकार पर सबसे अधिक चोट पहुँची है।

साथ ही, परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंज़ूरी (environmental clearance) देने की प्रक्रियाओं में भी संशोधन की कोशिश की गयी, ताकि अनुमति जल्द से जल्द दी जा सके। जब सार्वजानिक विचार-विमर्श जैसी पारंपरिक विधायी प्रक्रिया में बहुत अधिक विरोध सामने आया, तो सरकार ने कार्यकारी आदेशों (guidelines) और प्रशासनिक निर्देशों (circulars) के माध्यम से बदलाव करके अपनी अधीरता दिखाई। 2020 की *पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना* का मसौदा (Draft Environment Impact Assessment Notification or Draft EIA) भारी विरोध और अदालत के आदेशों के चलते लागू नहीं हो सका; लेकिन हतोत्साहित हुए बिना, सरकार ने 2006 की EIA अधिसूचना में कार्यकारी आदेशों की श्रृंखला के ज़रिये इन बदलावों को धीरे-धीरे शामिल किया।

किसी वैधानिक पहल को कानूनी और नैतिक रूप से वैध होने के लिए कड़ी विधायी और सार्वजनिक चर्चा की आवश्यकता होती है। लेकिन 2006 की EIA अधिसूचना में इस तरह संशोधन करके, राज्य ने कानून और गैर-कानून के बीच की मूलभूत भिन्नता को मिटा दिया। कानूनी सुधार राजनीति, नैतिकता और कानून

1 वर्मा, मीमांसा *भारत ने पांच वर्षों में सभी देशों के बीच दूसरा सबसे बड़ा वन क्षेत्र खो दिया है,* 17 अप्रैल, 2023. https://qz.com/india-lost-the-second-largest-forest-area-in-five-years-1850342934 पर उपलब्ध है. यूटिलिटी बिडर की वनों की कटाई रिपोर्ट भी देखें. https://www.utilitybidder.co.uk/compare-business-energy/deforestation-report/

के बीच का एक ऐसा गंठजोड़ है, जहाँ इनके बीच की भिन्नताएँ धुंधली पड़ जाती हैं। संवैधानिक लोकतंत्र में, विशेषकर भारत जैसे विविध देश में, कानूनी सुधार में नागरिकों की भागीदारी और विचार-विमर्श अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अतीत में सामाजिक आंदोलनों ने बार-बार इस क्षेत्र को सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है ताकि कठिन लेकिन बेहद ज़रूरी विधायी प्रगति हासिल की जा सके। 2006 का *अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम* (वन अधिकार कानून या FRA) इसी तरह की बहस और परामर्श का परिणाम है। लेकिन जब यही विधायी क्षेत्र राज्य द्वारा नवउदारवादी (neo-liberal) उद्देश्यों के लिए व्यवस्थित रूप से इस्तेमाल किया जाता है, तो कानूनी व्यवस्था की नैतिकता क्षीण होने लगती है। हमारे विचार में, यह गंभीर चिंता का विषय है। क्रियान्वयन में चाहे कितनी भी बाधाएँ हों, किसी राष्ट्र की विधायी संरचना उसकी अखंडता और संवैधानिक नैतिकता तथा विधि के शासन (rule of law) के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। जब ये बहुमूल्य सिद्धांत खतरे में पड़ जाते हैं, तो नागरिकों के लिए चिंता का कारण बन जाता है।

हमें आशा है कि यह पुस्तिका आपके सवाल और चिंताओं को निरूपित करने में मदद करेगी। हमारा उद्देश्य है कि नागरिक समाज और कार्यकर्ता समझ सकें कि पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण कानूनों की संरचना पिछले पाँच वर्षों में किस प्रकार मौलिक रूप से बदल गई है, और यह बदलाव हमारे देश में हो रहे बड़े आर्थिक और सामाजिक रूपांतरणों से किस तरह जुड़ा हुआ है। हमने शुरुआत में एक संक्षिप्त तालिका प्रस्तुत की है जिसमें संसाधन प्रबंधन कानूनों में कुछ प्रमुख विधायी परिवर्तनों को सूचीबद्ध किया गया है। इसके बाद इन सुधारों से उभरते हुए महत्वपूर्ण रुझानों का विश्लेषण किया गया है। जैसा कि शीर्षक बताता है, उद्देश्य यह है कि इन कानूनी सुधारों को सामान्य पाठक के लिए स्पष्ट किया जाए, और यह समझा जाए कि ये बदलाव किस दिशा में जा रहे हैं। अंत में आगे का रास्ता सुझाया गया है; इन कानूनी सुधारों से उत्पन्न चुनौतियों का सामना किया जा सकता है, और करना ही होगा।

यह पुस्तिका पाँच वर्षों के कठिन शोध पर आधारित है, जिसमें अनेक लोगों ने अपना समय और परिश्रम लगाया है। इनमें पूजा, शिवांक झांजी, खुशबू पारीक, महेश्वरी मावासे, साल्यू कडेना, उन्मेख पद्मभूषण, सात्विका कृष्णन, तनिष्का धर, आँचल कांठेड़ और आयशा नासिर अलावी शामिल हैं। तुषार दश, वाई. गिरि राव और सी.आर. बिजॉय के नेतृत्व और मार्गदर्शन ने महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान किए, और हमें लगातार अपनी क्षमता का विस्तार करने की चुनौती दी। अरुण फेरेरा ने अपनी कला और चित्रण से इस पुस्तक की नस को पकड़ लिया, और संजय (सचिन) कुमार ने अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद बहुत खूबसूरती से किया। सुभाषिनी श्रिया ने अंतिम श्रेणी पर इस दस्तावेज़ के मसौदे पर अपने सुझाव दे कर इसे और मज़बूत बनाया। आप सब के हम बेहद आभारी हैं।

और अंत में, हम लीगल रिसोर्स सेंटर की अपनी टीम - राहुल श्रीवास्तव, संगमित्रा दुबे, और अलेक्ज़ेंडर थॉमस - का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने कोविड-19 और हमारी बैठकों को चर्चा, ,महामारी के दौरान Zoom को सहजता से अपनाया सीख, मित्रता और एकजुटता का जीवंत स्थल बना दिया।

शोमोना खन्ना एवं आस्था सक्सेना
दिल्ली/बेंगलुरु
सितंबर, 2025

राज्य के एजेंडे का रहस्य

आदिवासियों और वन निवासियों के दैनिक जीवन और संघर्षों को प्रभावित करने वाले कानूनों में बदलाव

2019 में जब केंद्र में एन. डी. ए. (NDA) सरकार दूसरी बार सत्ता में लौटी, तब से उसने वन संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरणीय सुरक्षा, जैव विविधता, खनन, और हाल ही में जलवायु परिवर्तन से संबंधित कानूनों और नीतियों में तेज़ी से संशोधन किए हैं। इन कानूनों में किए गए बदलाव केवल कानूनी ढाँचे में बदलाव नहीं हैं, बल्कि आदिवासियों और अन्य वन निवासी समुदायों के रोज़मर्रा के जीवन पर गंभीर और हानिकारक असर डाल रहे हैं।

लेकिन इन बदलावों से भी अधिक गंभीर खतरा भारत में संवैधानिक लोकतंत्र और कानून के शासन (rule of law) पर मंडरा रहा है। संवैधानिक प्रावधानों के तहत आदिवासियों और वन निवासी समुदायों को लोकतांत्रिक वन शासन का जो वादा किया गया था, उसे दो ऐतिहासिक कानून और मज़बूत बनाते हैं- *पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996* (पेसा कानून या PESA) और *अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006* (वन अधिकार कानून या FRA)। इन दोनों कानूनों ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि आदिवासी और वन निवासी उन निर्णयों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं जो उनके जीवन और संसाधनों से जुड़े हैं।

आज पेसा और वन अधिकार कानून का यही लोकतांत्रिक वन शासन का ढाँचा गहरे ख़तरे में है। मौजूदा शासन द्वारा किए जा रहे संशोधन और प्रस्तावित संशोधन सुनियोजित तरीक़े से पेसा और वन अधिकार कानून में निहित सुरक्षा कवच को कमज़ोर कर रहे हैं। इन परिवर्तनों को अक्सर *व्यापार की सुगमता* (ease of doing business) की भाषा में जायज़ ठहराया जाता है। लेकिन असली सवाल यह है कि इस विधायी बदलाव की लहर के पीछे राज्य का आर्थिक एजेंडा क्या है? क्या है जो राज्य को इन पर्यावरण और वन कानूनी परिवर्तनों को लागू करने को प्रेरित कर रहा है? ऐसे परिवर्तन जिससे सामुदायिक अधिकार कमज़ोर और कॉरपोरेट हित

मजबूत हों? इस दस्तावेज़ में हम पहले ऐसे प्रमुख संशोधनों का ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे, जिनका सीधा असर जल, जंगल, ज़मीन, और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ता है। इसके बाद, हम उस राजनीतिक और आर्थिक प्रेरणा का विश्लेषण करेंगे, जो इन कानूनी परिवर्तनों को संचालित कर रही है, और इनके पीछे छिपे हुए राज्य के एजेंडे का विश्लेषण करेंगे।

संशोधनों / प्रस्तावित संशोधनों का कालक्रम	
2019	**भारतीय वन अधिनियम, 1927 (Indian Forest Act, 1927) के संशोधन का मसौदा** [वापस लिया गया] • वन अपराधों के लिए जुर्माना और कारावास की अवधि बढ़ाई जाए। • वन अधिकारियों को वनों के भीतर अधिक अनुशासनात्मक (policing) शक्तियाँ प्रदान हो। • ग्राम सभा की सहमति के बिना व्यावसायिक वानिकी (commercial forestry) की अनुमति दी जाए। • वन अधिकार कानून (FRA) के तहत प्राप्त अधिकारों को कमजोर करते हुए, वन निपटान अधिकारी (Forest Settlement Officer) को अधिकार दिया जाए कि वे समुदाय के अधिकारों का निर्धारण करे और उन्हें समाप्त भी कर सके। **टिप्पणी**: यद्यपि यह प्रस्तावित संशोधन 15.11.2019 को वापस ले लिया गया, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEFCC) ने *भारतीय वन अधिनियम, 1927* में व्यापक संशोधन का प्रारूप तैयार करने के लिए परामर्श फर्मों से रुचि की अभिव्यक्ति *(expression of interest)* आमंत्रित की थी; इसकी वर्तमान स्थिति अज्ञात है।

23 मार्च 2020	**पर्यावरण प्रभाव आंकलन (EIA) अधिसूचना, 2020 का मसौदा** [कर्नाटक उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित] • *जन सुनवाई* से संबंधित प्रावधानों को कमजोर किया जाए। • EIA प्रक्रिया के अंतर्गत अनिवार्य अनुपालन (mandatory procedure) को कमजोर करते हुए कई परियोजनाओं को EIA से छूट दी जाए। • पर्यावरणीय अपराधों के लिए दंड की परिभाषा को कमजोर किया जाए। **टिप्पणी:** यद्यपि 2020 का EIA संशोधन उच्च न्यायालयों के आदेशों के कारण लागू नहीं हो पाया है, लेकिन MOEFCC ने इसके कई प्रावधानों को विभिन्न परिपत्रों और दिशानिर्देशों के माध्यम से लागू कर दिया है।
28 मार्च 2021	**खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 या MMDRA) में संशोधन** [प्रवर्तित] • किसी खनन पट्टाधारी (mining lessee) को खान के संबंध में दिए गए सभी अधिकार, अनुमोदन, स्वीकृतियाँ, लाइसेंस, आदि, खनन पट्टा किसी अन्य पक्ष को स्थानांतरित किए जाने के बाद भी वैध बने रहेंगे। • ऐसे अधिकार, अनुमोदन, स्वीकृतियाँ, लाइसेंस, आदि स्वतः नए पट्टाधारी (new lessee) में निहित हो जाएँगे, और खनन कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। • खनन पट्टे की अवधि 30 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई।
2 अक्तूबर 2021	**वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (Forest Conservation Act, 1980 या FCA) में प्रस्तावित संशोधनों पर परामर्श पत्र (consultation paper)** [इसके बाद FCA और नियमों में संशोधन किए गए, नीचे देखें] • *'वन'* की परिभाषा को संकीर्ण बनाने के तहत कुछ भूमि की श्रेणियों, जैसे *वन जैसी भूमि* (deemed forest), को इसके दायरे से बाहर करने का प्रस्ताव रखा गया। • कई गैर-वानिकी गतिविधियों (non-forest activities) को वन स्वीकृति (forest clearance) से छूट देने का प्रस्ताव रखा गया।

	• कुछ ऐसे वन क्षेत्रों को, जिनका पारिस्थितिक मूल्य अत्यधिक है, अछूता (pristine) बनाए रखने का प्रस्ताव था - लेकिन इसे अंतिम FCA संशोधन में शामिल नहीं किया गया (नीचे देखें)। • FCA का उल्लंघन करने पर दंड, जिसमें कारावास भी शामिल है, और अधिक कठोर बनाने का प्रस्ताव - यह भी अंतिम FCA संशोधन में शामिल नहीं किया गया।
28 जून 2022	**वन संरक्षण नियम, 2003** (2017 तक सभी संशोधन सहित) निरस्त कर दिए गए, और उनकी जगह **वन संरक्षण नियम, 2022** लागू किए गए। ये नियम लगभग वही थे, जिन्हें बाद में 2023 के नियमों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया (नीचे देखें)।
1 जनवरी 2023	**ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (Energy Conservation Act, 2001 या ECA) में संशोधन** [प्रवर्तित] • *ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001* में संशोधन कर केंद्र सरकार को *कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना* (Carbon Credit Trading Scheme) निर्धारित करने का अधिकार दिया गया (नीचे देखें)। • केंद्र सरकार या उसकी अधिकृत कोई एजेंसी *कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग प्रमाण पत्र* जारी कर सकती है। • अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थाएँ कार्बन क्रेडिट खरीद या बेच सकती हैं।
1 अप्रैल 2023	**वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (WildLife Protection Act, 1972 या WLPA) में संशोधन** [प्रवर्तित] • *वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972* को *वन्य जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन* (CITES) के अनुरूप बनाया गया; CITES से संबंधित नियम 24 अप्रैल 2023 से लागू किए गए। • वन्यजीव अपराधों (wildlife offences) के लिए दंड, जिनमें कारावास और जुर्माना शामिल है, सभी स्तरों पर बढ़ाए गए।

	• वन्यजीव अधिकारियों की अपराधों का *समझौता* (compound[2]) करने की शक्ति बढ़ाई गई, तथा इसके लिए निर्धारित राशि ₹25,000 से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई। • यह भी प्रावधान लाया गया कि वन अधिकार कानून (FRA) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए प्रबंधन योजनाएँ मुख्य वन्यजीव संरक्षक (Chief Wildlife Warden) द्वारा बनाई जाएँगी, जिसमें ग्राम सभा से परामर्श जरूरी होगा।
2023	**सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (Public Liability Insurance Act, 1991) में संशोधन** [*जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम*, 2023 के माध्यम से पारित] • खतरनाक रसायनों (hazardous chemicals) से संबंधित कॉर्पोरेट इकाइयों की *पूर्ण दायित्व* (absolute liability) को पूरा करने हेतु सार्वजनिक बीमा कोष (Public Insurance Fund) में योगदान की जो ठोस जिम्मेदारियाँ हैं, उन्हें काफी हद तक कम कर दिया गया। • मौजूदा दंडात्मक प्रावधानों को अपराधमुक्त (decriminalise) कर दिया गया; कारावास की सज़ा को हटा कर, उसकी जगह आर्थिक जुर्माने (monetary fine) का प्रावधान किया गया; केवल जुर्माने का भुगतान न करने पर ही कारावास का प्रावधान है। • न्यायिक अधिकारियों की जगह अब अधिनिर्णायक अधिकारी (Adjudicating Officer) आर्थिक जुर्माने का निर्धारण करेंगे, जो अर्ध-न्यायिक (quasi-judicial) शक्तियों से अधिकृत नौकरशाह होंगे। • वर्ष 2024 में नियम जारी किए गए जिनमें इन अधिनिर्णायक अधिकारियों की शक्तियों और कार्यवाही की प्रक्रिया का विवरण है।

2 *भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023* की धारा 359 में उन अपराधों की सूची दी गई है जिनका शमन या समझौता (compounding) किया जा सकता है।

28 जून 2023	**कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना, 2023 (Carbon Credit Trading Scheme, 2023)** [*ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001* (2022 में संशोधित, ऊपर देखें) के तहत अधिसूचित] • *'कार्बन क्रेडिट'* की परिभाषा जलवायु परिवर्तन (climate change) के संदर्भ में दी गई, जिसका मूल रूप है *ग्रीन हाउस गैस* (greenhouse gas या GHG) से बचना और उन्हें हटाना। • योजना को लागू करने के लिए तंत्र नियुक्त किए गए, जैसे: ○ भारतीय कार्बन बाज़ार के लिए *राष्ट्रीय संचालन समिति* (National Steering Committee), ○ प्रशासक के रूप में *ऊर्जा दक्षता ब्यूरो* (Bureau of Energy Efficiency), ○ नियामक (Regulator) के रूप में *केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग* (Central Electricity Regulatory Commission), ○ भारतीय कार्बन बाज़ार के रजिस्ट्री (Registry) के रूप में *ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड* (Grid Controller of India Ltd)। • केंद्र विद्युत् मंत्रालय (Ministry of Power) को यह अधिकार दिया गया कि वह यह निर्धारित करे कि किन-किन क्षेत्रों और बाध्य संस्थाओं (obligated entities) को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का एक निश्चित अनुपात *ग़ैर-जीवाश्म स्रोतों* (non-fossil sources) से पूरा करना होगा। इसके लिए अनुपालन तंत्र भी तय किए गए हैं।
11 अगस्त 2023	**पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (Environment Protection Act, 1986 या EPA) में संशोधन** *[जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023* के माध्यम से पारित] • अधिनियम के उल्लंघन पर कारावास की सज़ा को हटा कर, उसकी जगह आर्थिक जुर्माने का प्रावधान किया गया है; केवल जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में ही कारावास होगा। • *पर्यावरण संरक्षण कोष* (Environment Protection Fund या EPF) का सृजन किया गया है, जिसमें ऐसे जुर्मानों की राशि जमा की जाएगी।

	• आर्थिक जुर्माने का निर्धारण अधिनिर्णायक अधिकारी (Adjudicating Officer) द्वारा किया जाएगा, जो अर्ध-न्यायिक (quasi-judicial) शक्तियों से अधिकृत नौकरशाह होंगे। • इस संबंध में 2024 में नियम अधिसूचित किए गए, जिनमें अधिनिर्णायक अधिकारियों की शक्तियाँ और कार्यवाही की प्रक्रिया निर्दिष्ट की गई।
11 अगस्त 2023	**वायु (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981) में संशोधन** [*जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023* के माध्यम से पारित] • केंद्र सरकार को अधिनियम में कुछ श्रेणियों के औद्योगिक वर्गों को छूट देने का अधिकार दिया गया। • केंद्र सरकार को दिशानिर्देश जारी करने का अधिकार भी दिया गया कि वह राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) को किसी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में औद्योगिक कारखाने को स्थापित करने या संचालित करने की सहमति दे, अस्वीकृत करे, या रद्द करे। • अधिनियम का उल्लंघन करने पर कारावास की सज़ा को हटा कर आर्थिक जुर्माने का प्रावधान किया गया, जो *पर्यावरण संरक्षण निधि* (EPF) में जमा किया जाएगा। • अर्ध-न्यायिक (quasi-judicial) शक्तियों वाले नौकरशाह होने के नाते, अधिनिर्णायक अधिकारी (Adjudicating Officer) द्वारा आर्थिक जुर्माने का निर्धारण। • 2024 में जारी किए गए नियम अधिनिर्णायक अधिकारियों की शक्तियां और कार्यवाही की प्रक्रिया प्रदान करते हैं।
11 अगस्त 2023	**भारतीय वन अधिनियम, 1927 (Indian Forest Act, 1927 या IFA) में संशोधन** [*जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023* के माध्यम से पारित] • कुछ *'छोटे'* (minor) वन अपराधों के लिए कारावास की सज़ा समाप्त कर दी गई; इसकी जगह आर्थिक जुर्माना (monetary fine) लागू किया गया। • इसके अतिरिक्त, उल्लंघनकर्ताओं को हानि की भरपाई करने का प्रावधान, जिसमें सामूहिक दंड (collective fine) भी शामिल है।

	• वन अधिकारियों के अधिकार बढ़ाए गए, जिससे वे जुरमाना लगाने और उसकी वसूली में सक्षम होंगे। **टिप्पणी**: राज्य विधानसभाओं द्वारा वन अपराधों से संबंधित किए गए संशोधन अप्रभावित रहेंगे।
13 अक्तूबर 2023	**ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 (Green Credit Rules, 2023)** [*पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986* (EPA) के तहत अधिसूचित] • बाज़ार-आधारित दृष्टिकोण (market-based approach) पेश किया गया, अर्थात् *ग्रीन क्रेडिट* अर्जित करना जो कि लेन-देन योग्य होंगे, ताकि पहचानी गई पर्यावरणीय गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जा सके। • आठ पर्यावरणीय गतिविधियाँ निर्धारित की गईं जिनके लिए *ग्रीन क्रेडिट* अर्जित किए जा सकते हैं: ○ जल प्रबंधन (water management) ○ वनीकरण (afforestation) ○ सतत कृषि (sustainable agriculture) ○ अपशिष्ट प्रबंधन (waste management) ○ वायु प्रदूषण में कमी (air pollution reduction) ○ मैन्ग्रोव संरक्षण और पुनर्स्थापन (mangrove conservation and restoration) ○ ईकोमार्क लेबल का विकास (ecomark label development) ○ टिकाऊ निर्माण और संरचना (sustainable building and infrastructure) • कार्यप्रणाली को अलग से 2024 में अधिसूचित किया गया (नीचे देखें)। • यह योजना व्यक्तियों, किसानों, सहकार समितियों, व्यवसायों और सरकारी एजेंसियों के लिए खुली है, जो ग्रीन क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं और इनका विशेष ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर व्यापार कर सकते हैं। • भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) को निर्धारित प्रशासक घोषित किया गया।

13 अक्तूबर 2023	**ईकोमार्क प्रमाणन नियम, 2023 (Ecomark Certification Rules, 2023)** [*पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986* (EPA) के तहत अधिसूचित] • उन उत्पादों को *ईकोमार्क* के साथ लेबल करने का प्रावधान, जो पर्यावरण पर कम प्रतिकूल प्रभाव डालते हों। • केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा की योग्यता के मानदंड (criteria for qualification) क्या हैं, यानी कौन से उत्पाद प्रमाणित रूप से पर्यावरण-हितैषी हैं। • किस प्रकार यह निर्धारित किया जाए कि कौन से उत्पाद *ईकोमार्क* के लिए प्रमाणित हो सकते हैं, इसकी प्रक्रिया भी नियम में दी गई है। • केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board) को नामित प्रशासक घोषित किया गया। • झूठे खुलासे और धोखाधड़ी के दावों पर *पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986* की धारा 15 के तहत दंड लगाया जाएगा।
29 नवम्बर 2023	**वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023** [*वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980* (FCA) के तहत अधिसूचित] • *वन संरक्षण नियम, 2022* (उपरोक्त देखें) को निरस्त कर नए नियम लागू किए गए। • *प्रतिपूर्ति वनीकरण* (compensatory afforestation) के लिए भूमि बैंक (land bank) का सृजन और प्रावधान। • निजी कंपनियों और संस्थाओं को अनुमति दी गई की वह *मान्यता प्राप्त प्रतिपूरक वनरोपण* (accredited compensatory afforestation) कर सकें। • नियम के अनुसार, वन अधिकार कानून (FRA) का अनुपालन चरण-2 अंतिम वन मंजूरी (stage-2 final forest clearance) के बाद, और राज्य सरकार द्वारा अंतिम मंजूरी की अधिसूचना से पहले करना होगा; FRA के तहत ग्राम सभा की सहमति की आवश्यकता का अब उल्लेख नहीं है।

	• चरण - 1 के *सैद्धांतिक वन मंजूरी* (stage-1 in-principle forest clearance) प्राप्त हो जाने, प्रतिपूरक शुल्क (compensatory levies) का भुगतान हो जाने, तथा वन अधिकार कानून जैसे अन्य कानूनों का अनुपालन हो जाने पर, परियोजना कार्य शुरू करने के लिए *कार्यरत अनुमति* (working permission) प्रदान की जा सकती है, भले ही अंतिम मंजूरी (final approval) प्राप्त न हुई हो। **टिप्पणी**: 2025 में इन नियमों का संशोधन किया गया (नीचे देखें)।
29 नवम्बर 2023	**वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (Forest Conservation Act, 1980 या FCA) के तहत MOEFCC द्वारा जारी तीन दिशानिर्देश** *1. अनुप्रयुक्त परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देश:* ○ FCA की धारा 1A (2) के तहत छूट-प्राप्त भूमि से संबंधित परियोजनाओं के लिए, जिनमें सीमा क्षेत्रों में राष्ट्रीय महत्व के रणनीतिक रैखिक (linear) प्रोजेक्ट, वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित जिलों में सुरक्षा-संबंधित बुनियादी कार्य, और अन्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचे शामिल हैं। ○ राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भूमि उपयोगकर्ता एजेंसी (project proponent) को सौंपने से पहले वन अधिकार कानून जैसे कानूनों का अनुपालन हो। ○ परियोजना कार्य प्रारंभ करने के लिए *कार्यरत अनुमति* (working permission) दी जा सकती है, जब प्रतिपूरक शुल्क (compensatory levies) और वन अधिकार कानून जैसे अन्य कानूनों का अनुपालन पूरा हो गया हो, भले ही अंतिम मंजूरी (final approval) प्राप्त न हुई हो। *2. वन भूमि को सार्वजनिक और निजी संस्थाओं को पट्टे (lease) पर देने से संबंधित दिशानिर्देश:* ○ संशोधन के बाद, FCA की धारा 2(1)(iii) ऐसे पट्टों को केंद्रीय सरकार की स्वीकृति से मुक्त करती है, लेकिन ये दिशानिर्देश स्पष्ट करते हैं कि किसी भी उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि पट्टा देने से पहले केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ○ स्वीकृति के लिए परियोजना प्रकारों के अलग-अलग वर्गीकरण (differential classification) दिये गये है।

	○ भूमि उपयोगकर्ता एजेंसी को सौंपने से पहले वन अधिकार कानून जैसे अन्य कानूनों का अनुपालन आवश्यक है। *3. FCA की धारा 2(2) के तहत गतिविधियों पर छूट के लिए दिशानिर्देश:* ○ सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण, जाँच या अन्वेषण को गैर-वन गतिविधि (non-forest activity) माना गया है। ○ गैर-खनन गतिविधियों से संबंधित सर्वेक्षण की अनुमति देने का अधिकार राज्य वन विभाग को है, यदि इसमें वन भूमि की तोड़-फोड़ या पेड़ों की कटाई शामिल नहीं है। ○ बड़े खनन कार्य और अन्य खनन गतिविधियों के लिए, जहाँ पेड़ों की कटाई और भूमि खुदाई सीमित है, वहाँ केंद्रीय सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। ○ यह दिशानिर्देश वन अधिकार कानून (FRA) के अनुपालन का कोई उल्लेख नहीं करते। **टिप्पणी**: दिशानिर्देश किसी भी समय, बिना संसद की निगरानी के, सरकार द्वारा बदले जा सकते है ।
30 नवम्बर 2023	***अशोक कुमार शर्मा बनाम भारत संघ* WP(C) 1164/2023** मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश (interim order) पारित किया गया, जिसमें भारत संघ के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (Additional Solicitor General) का बयान रिकॉर्ड किया गया कि: *«भारत संघ का कोई इरादा नहीं है कि टी. एन. गोदावर्मन मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्देशित 'वन' की परिधि को कमजोर किया जाये ... और वनों के संबंध में न्यायालय के आगे के आदेशों तक कोई अविलंब कार्रवाई नहीं की जाएगी।»* **टिप्पणी**: यह अंतरिम आदेश 19.02.2024 को विस्तृत निर्णय द्वारा पुष्ट किया गया, और 03.02.2025 तथा 04.03.2025 को जारी अंतरिम आदेशों में दोहराया गया।

1 दिसम्बर 2023	**वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023** [1 दिसंबर, 2023 को प्रवर्तित] • मूल कानून का नाम बदलकर *वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 1980* (FCA) कर दिया गया। • FCA के दायरे को सीमित करते हुए कुछ प्रकार की भूमि और वन भूमि, और कुछ प्रकार की गतिविधियों को केंद्रीय सरकार से *वन परिवर्तन मंजूरी* (forest clearance) प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट दी गई है। • इस छूट में शामिल गतिविधियाँ हैं: o रेलवे लाइनों और सड़कों के नजदीक गैर-वन गतिविधियाँ (non-forest activities along railway lines and roads), o अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के 100 km तक महत्वपूर्ण रैखिक अवसंरचना (critical linear infrastructure within 100 km of international borders), o वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा-संबंधित अवसंरचना (security infrastructure in LWE areas), o निजी चिड़ियाघर और सफारी (private zoos and safaris), o आदि। • संसद के स्थान पर केंद्र सरकार की कार्यपालिका को दिशानिर्देश, निर्देश, आदि बनाने की शक्ति प्रदान की गई (ऊपर दिशानिर्देश देखें) । **टिप्पणी**: संपूर्ण संशोधन को भारत के संविधान के विरुद्ध (ultra vires) बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। अंतरिम आदेश जारी किए गए हैं (ऊपर देखें)।

15 फरवरी 2024	**जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974) में संशोधन** [राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और सभी संघ शासित प्रदेशों (Union Territories) में प्रवर्तित। बाद में पंजाब, बिहार, कर्नाटक, गोवा और मेघालय द्वारा अपनाया गया] • सभी दंडात्मक प्रावधानों के लिए कारावास की सज़ा समाप्त, इसके स्थान पर आर्थिक जुरमाना लगाया गया, जो *पर्यावरण संरक्षण कोष* (Environment Protection Fund) में जमा किया जाएगा। • कंपनियों द्वारा अपराध संबंधित प्रावधान (धारा 47) पूरी तरह से हटाया गया। • आर्थिक जुर्माने का निर्धारण अब न्यायालयों द्वारा नहीं, बल्कि अधिनिर्णायक अधिकारी (Adjudicating Officer) द्वारा किया जाएगा, जो अर्ध-न्यायिक (quasi-judicial) शक्तियों से सुसज्जित नौकरशाह हैं। • 2024 में नियम जारी किए गए, जो अधिनिर्णायक अधिकारियों की शक्तियों और कार्यवाही की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। • कई मामलों में अधिकार राज्य सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) से केंद्रीय सरकार और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को स्थानांतरित किए गए, जिसमें शामिल हैं: ○ SPCB के अध्यक्ष की नियुक्ति और सेवा की शर्तें। ○ कुछ औद्योगिक इकाइयों को SPCB की सहमति प्राप्त करने से छूट, CPCB से परामर्श के बाद। ○ किसी उद्योग, कारखाने, अपशिष्ट प्रणाली, आदि की स्थापना के लिए सहमति देने, अस्वीकार करने, या रद्द करने के लिए दिशानिर्देश जारी करना। • 2025 में जारी दिशानिर्देशों के तहत सरकार को अधिकार दिया गया कि वह उद्योगों को उनके जल स्रोतों पर संभावित प्रभाव और संवेदनशील स्थलों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान और रिज़र्व फ़ॉरेस्ट) से दूरी के आधार पर *लाल, नारंगी, हरा और नीला* श्रेणियों में वर्गीकृत करे। • अधिनियम की धारा 25 के तहत *सफेद* उद्योगों के एक अनुसूची दी गई, जिन्हें स्थापित और संचालित करने के लिए सहमति प्राप्त करने से छूट प्राप्त है।

22 फरवरी 2024	**वृक्षारोपण के लिए ग्रीन क्रेडिट (Green Credit) की गणना की कार्यप्रणाली** [MOEFCC द्वारा *पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986* (EPA) के तहत अधिसूचित] • यह कार्यप्रणाली *खुले जंगल और झाड़ी भूमि, बंजर भूमि और जलधार क्षेत्र* पर किए जाने वाले वृक्षारोपण के लिए आवश्यकताएँ निर्धारित करती हैं, ताकि ऐसे वृक्षारोपण से *ग्रीन क्रेडिट* अर्जित किए जा सकें। • प्रति वृक्ष एक ग्रीन क्रेडिट प्राप्त होगा, बशर्ते कि भूमि पर न्यूनतम घनत्व 1,100 वृक्ष प्रति हेक्टेयर हो, और इसे वन विभाग द्वारा प्रमाणित किया गया हो। • गैर-वनीय उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग के मामले में FCA के अंतर्गत प्रतिपूरक वनीकरण (compensatory afforestation) के अनुपालन को पूरा करने के लिए ग्रीन क्रेडिट का आदान-प्रदान किया जा सकता है।
1 अप्रैल 2024	**जैव विविधता अधिनियम, 2002 (Biological Diversity Act, 2002) में संशोधन** [प्रवर्तित] • औषधीय उपयोग के लिए खेती की गई वनस्पतियों को *जैव विविधता अधिनियम, 2002* के दायरे से बाहर कर दिया गया। • जैव विविधता के उत्पादकों और कृषकों, वैद्य, हकीम तथा पंजीकृत आयुष (AYUSH) चिकित्सकों को, कुछ विशेष प्रयोजनों के लिए जैविक संसाधन प्राप्त करते समय, राज्य जैव विविधता बोर्ड (State Biodiversity Board) को पूर्व सूचना देने से छूट दी गई। • अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराधों का गैर-अपराधिकरण (decriminalisation) कर दिया गया। • ग्राम सभाओं के वैधानिक अधिकार, जो वन अधिकार कानून के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हैं, को नजरअंदाज किया गया, हालाँकि *लाभ-साझेदारी* (benefit-sharing) की व्यवस्था धारा 21(2) के तहत अभी भी आवश्यक है।

18 जुलाई 2024	**पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 (Environment Protection Rules, 1984) में संशोधन** [*पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986* (EPA) के तहत अधिसूचित] • अधिनिर्णायक अधिकारी (Adjudicating Officers) की नियुक्ति और शिकायतों पर कार्रवाई करने तथा जुर्माना लगाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई। • प्रस्तुतिकरण अधिकारी (Presenting Officers) की नई श्रेणी बनाई गई। • उल्लंघनों की जानकारी केवल उन्हीं शिकायतों पर निर्णायक अधिकारियों द्वारा ली जा सकती है, जो उक्त प्रस्तुतिकरण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई हों। • *पर्यावरण संरक्षण कोष* (Environment Protection Fund) की स्थापना की गई, और इस कोष के उचित प्रबंधन और उपयोग की प्रक्रिया व तंत्र भी निर्धारित किए गए।
दिसम्बर 2024	**कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) (संशोधन) विधेयक, 2024 (मसौदा)** [खनन मंत्रालय द्वारा जारी, संसद में पेश करने हेतु] • नई धारा 13A का प्रस्ताव, जिसके अनुसार, इस अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण के समय, प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रदान किया जाएगा। यह अधिग्रहण *भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013* (Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) के अनुसूचियों I, II एवं III के अनुसार, तथा समय-समय पर सरकार द्वारा जारी नियमों/आदेशों के अनुसार होगा। **टिप्पणी:** • इस मसौदे में पेसा कानून, वन अधिकार कानून और अन्य सुरक्षात्मक कानूनों के अनिवार्य पालन का कोई उल्लेख नहीं है। • मसौदा सभी राज्य सरकारों, विभिन्न मंत्रालयों और जनता के समक्ष टिप्पणियों के लिए वितरित किया गया, और यह अभी भी लंबित है।

20 मई 2025	**खनिज रियायत अनुज्ञप्ति नियम, 1960 (Mineral Concession Rules, 1960) में संशोधन** [प्रवर्तित] • राज्य सरकार को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वे खनन योजनाओं को ब्लॉक सीमा से बाहर खनन करने के लिए *अनापत्ति प्रमाण पत्र* (NOC) जारी कर सके। • खनन योजनाओं में *मामूली परिवर्तन* (minor changes) करने की अनुमति दी गई है, जिसके लिए केंद्र सरकार की अनिवार्य स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। • ऐसे *मामूली परिवर्तनों* की सूची में शामिल हैं: ○ भूमि के प्रकार में परिवर्तन (change in land type), ○ बुनियादी अवसंरचना का स्थान (infrastructure location), ○ उत्पादन में 50% तक की वृद्धि (production increases up to 50%), ○ नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भूमि का पुन: उपयोग (repurposing land for renewable energy), ○ उपकरणों में परिवर्तन (equipment changes), ○ उच्चभित्ति खनन (highwall mining), ○ सोलर ऊर्जा के कारखाने (solar plants), ○ धुलाई अपशिष्टों का निपटान (dumping washery rejects), ○ सामुदायिक विकास परियोजनाएँ (community development projects)।
29 अगस्त 2025	**पर्यावरण ऑडिट नियम, 2025 (Environment Audit Rules, 2025)** *(पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986* (EPA) के तहत अधिसूचित) • यह नियम तृतीय-पक्ष (third-party) पर्यावरण ऑडिट को संस्थागत रूप देते हैं, जिसे उभरते हुए बाज़ार-आधारित उपकरणों, जैसे *ग्रीन क्रेडिट,* के साथ एकीकृत किया गया।

	• यह नियम MOEFCC की प्राथमिकता और अंतिम प्राधिकार को बरकरार रखते हुए, अनुपालन-सत्यापन पारिस्थितिकी तंत्र को औपचारिक रूप देते हैं। • MOEFCC और नामित पर्यावरण ऑडिट एजेंसी (Environment Audit Designation Agency) को ऑडिट प्रक्रिया को क्रियान्वित करने के लिए आगे के दिशानिर्देश, निर्देश और प्रारूप (formats) जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। **टिप्पणी**: ऑडिट प्रक्रिया में वन-आश्रित समुदायों या ग्राम सभाओं की भूमिका का कोई उल्लेख नहीं है।
31 अगस्त 2025	**वन संरक्षण एवं संवर्धन नियम, 2023** (ऊपर देखें) **में व्यापक संशोधन** [*वन संरक्षण अधिनियम, 1980* (FCA) के तहत अधिसूचित] • चरण-1 सैद्धांतिक वन स्वीकृति (stage-1 in-principle forest clearance) की वैधता 2 वर्षों से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई। • केंद्र सरकार यह तय कर सकती है कि विभिन्न रैखिक अवसंरचना (linear infrastructure) परियोजनाओं में चरण-2 अंतिम वन स्वीकृति (stage-2 final forest clearance) मिलने से पहले किन कार्यों को शुरू किया जा सकता है; इसके लिए *कार्यरत अनुमति* (working permissions) दी जा सकती है। • रक्षा, रणनीतिक, राष्ट्रीय महत्व, सार्वजनिक हित और आपातकालीन परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से ऑफ़लाइन (off-line) आवेदन की व्यवस्था की गई। • MMDRA की प्राथमिक अनुसूची के भाग-D और सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों (critical and strategic minerals) के लिए प्रतिपूरक वनरोपण (compensatory afforestation) में विशेष व्यवस्था प्रदान की गई। • प्रतिपूरक वनरोपण भूमि को अब *"वन विभाग के पक्ष में वन भूमि के रूप में स्थानांतरित और परिवर्तित किया जाएगा, या प्रासंगिक वन कानून के तहत संरक्षित वन (protected forest) के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।"*

1 सितम्बर 2025	**खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDRA) में संशोधन:** [प्रवर्तित] इस संशोधन में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित प्रावधान हैं: • गहरे खनिजों (200 मीटर से अधिक गहराई पर पाए जाने वाले खनिज) के लिए खनन पट्टा (mining lease) या समग्र लाइसेंस (composite licence) धारक को सन्निहित क्षेत्र में विस्तार के लिए एकमुश्त अनुमति (one-time permission) प्राप्त करने का प्रावधान। • यह विस्तार खनन पट्टे के लिए 10%, और समग्र लाइसेंस के लिए 30% तक किया जा सकता है। • कैप्टिव खदानों (captive mines) से खनिज की बिक्री पर पूर्व निर्धारित 50% की ऊपरी सीमा हटा दी गई।

इन परिवर्तनों का आदिवासियों और अन्य वन-आश्रित समुदायों पर असर

पूंजी को बढ़ावा देना

समय के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य अब भारत के संविधान की लोकतांत्रिक और समाजवादी दृष्टि को साकार करने में रुचि नहीं रखता। *खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम*, 1957 (MMDRA), *वन संरक्षण अधिनियम, 1980* (FCA), *जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023* (जिसने 42 विभिन्न कानूनों को अपराधमुक्त किया) और *पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, 2006 का मसौदा* (EIA 2020 का मसौदा) में किए गए संशोधन/प्रस्तावित संशोधन यह दर्शाते हैं कि राज्य अब वन संसाधनों को पूंजीवादी हितों के हाथों में देने के लिए एक सुविधा प्रदाता के रूप में काम कर रहा है। इन कानूनों में किए गए बदलाव *व्यवसाय की सुगमता* (ease of doing business) को बढ़ावा देने के लिए हैं, जैसे कि खनन, रणनीतिक अवसंरचना परियोजनाएँ, मेगा जल विद्युत् परियोजनाएँ, सौर पार्क, इको-पर्यटन, व्यावसायिक पौधारोपण, आदि।

खनन कानूनो में संशोधन के बाद अब सभी अधिकार, अनुमतियाँ, स्वीकृतियाँ, इत्यादि खनन पट्टे के साथ ही विस्तारित मानी जाएंगी। इसका अर्थ यह है कि जब खनन पट्टा किसी नए पट्टाधारी को स्थानांतरित किया जाएगा, तो खनन गतिविधियाँ बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगी। भारत भले ही इको-पर्यटन और सोलर ऊर्जा जैसे नए क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा हो, लेकिन वह खनन पर अपनी अत्यधिक निर्भरता को छोड़ नहीं रहा है। इसी तरह, *वन संरक्षण अधिनियम* (FCA), इसके नियमों और दिशानिर्देशों में किए गए संशोधन, कई गतिविधियों जैसे रैखिक परियोजनाओं (linear projects), रणनीतिक और रक्षा अवसंरचना, और यहां तक कि निजी चिड़ियाघरों को इन कानूनों के अनुपालन से छूट प्रदान करते हैं। EIA 2020 के मसौदे के माध्यम से EIA प्रक्रिया में भी ऐसी ही छूट प्रस्तावित की गई थी। वायु, जल और पर्यावरण प्रदूषण कानूनों, तथा जैव विविधता कानून में किए गए बदलावों ने आपराधिक दायित्व को मात्र दीवानी क्षति (tortious wrong) में बदल दिया है, जिससे अब सिर्फ जुर्माने के

रूप में दंड लगाया जाता है। उद्योग अब पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करके भी विशेष दंड का सामना किए बिना काम कर सकते हैं।

इन कानूनों में किए गए बदलाव आदिवासी और अन्य वन निवासी, जो प्रकृति के निकट रहते हैं, उनके अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। खनन क्षेत्रों में उन्हें प्रदूषण, जीवन और स्वास्थ्य की हानि, तथा आजीविका के नुकसान जैसे खतरनाक परिणामों का सामना करना पड़ता है। तथाकथित *वन संरक्षण एवं संवर्धन नियम, 2023* ग्राम सभा की वन और वन संसाधनों के शासन की शक्तियों को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। यह नियम ग्राम सभाओं की *पूर्व, स्वतंत्र एवं सूचित सहमति* (free, prior and informed consent या FPIC) सुनिश्चित करने और वन अधिकार कानून के अनुपालन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डालते हैं। अब यह सिर्फ इतना कहते हैं कि वन अधिकार कानून जैसे कानूनों का अनुपालन स्टेज-2 वन स्वीकृति (stage-2 forest clearance) के बाद, और राज्य सरकार द्वारा अंतिम अधिसूचना से पहले किया जाए। इन नियमों में *कार्यरत अनुमति* (working permission) की व्यवस्था भी लाई गई है, जिससे परियोजना कार्य की शुरुआत चरण-1 सैद्धांतिक स्वीकृति (stage-1 in-principle forest clearance) मिलने के बाद हो सकती है - बशर्ते प्रतिपूरक शुल्क चुका दिया गया हो और वन अधिकार कानून जैसे अन्य कानूनों का पालन कर लिया गया हो।

इसी प्रकार, *जैव विविधता अधिनियम, 2002* में किए गए संशोधन ग्राम सभा की अपनी वन, वन्यजीव और जैव विविधता की रक्षा, संरक्षण और प्रबंधन की धारा 5 वन अधिकार कानून (FRA) के तहत दी गई शक्तियों को अनदेखा करते हैं। जैव विविधता का अधिकार और वन अधिकार कानून की धारा 3(1)(k) के अंतर्गत समुदाय के *बौद्धिक संपदा* (intellectual property) पर अधिकार को भी दरकिनार कर दिया गया है।

यह स्पष्ट है कि ये संशोधन जहाँ एक ओर उद्योगों और व्यापार के लिए अनुकूल हैं, वहीं दूसरी ओर वन अधिकार क़ानून और पेसा कानून के अंतर्गत आदिवासियों के अधिकारों के प्रतिकूल हैं। *जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम, 2023*

के तहत 42 कानूनों में संशोधन का उद्देश्य *"व्यापार की सुगमता (ease of doing business) के लिए विश्वास-आधारित शासन को और बेहतर बनाने हेतु अपराधों का गैर-अपराधीकरण और उनको युक्तिसंगत बनाना"* है। अपराधों का गैर-अपराधीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि व्यवसायों को अपना परिचालन और विस्तार करने में कोई कठिनाई न हो। पर्यावरण कानूनों में इस तरह बदलाव किए गए हैं कि उद्योगों के लिए पर्यावरण को प्रदूषित करते हुए विस्तार करना आसान हो गया है, और यदि उनपर कोई कार्यवाही होता भी है, तो वे आर्थिक जुर्माना देकर बच निकल सकते हैं।

विकास का एक नया एजेंडा - राष्ट्रीय सुरक्षा

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के *2023* संशोधन के तहत अंतरराष्ट्रीय सीमा, नियंत्रण रेखा (LOC), या वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) से 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाली वन भूमि को इस कानून के दायरे से बाहर कर दिया गया है - यदि उसका उपयोग *"राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक रैखिक परियोजना और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित निर्माण"* के लिए प्रस्तावित हो। चूंकि ऐसी परियोजनाओं को अब केंद्रीय सरकार से पूर्व वन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए इन क्षेत्रों में वन अधिकार कानून के अनुपालन पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है। यह याद रखना ज़रूरी है कि सीमा से 100 किलोमीटर के दायरे में भारत के कई राज्यों का एक बड़ा हिस्सा शामिल हो सकता है, जिनमें उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक फैले अत्यंत नाजुक हिमालयी क्षेत्र भी शामिल हैं। इन सीमावर्ती क्षेत्रों को पहले से ही सुरक्षा प्रतिबंधों के कारण भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार चाहती है कि वह, बिना किसी नियामक शर्तों का पालन किए, इन क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सके। जिन क्षेत्रों में लोग पहले से ही हाशिए पर हैं, वहां नियामक आवश्यकताओं को हटा देना लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के पूर्ण पतन का कारण बन सकता है।

2023 का FCA संशोधन 10 हेक्टेयर तक की वन भूमि पर निर्मित *"सुरक्षा संबंधी*

अवसंरचना" को वन अनुमति लेने की आवश्यकता से छूट देता है, जबकि वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रों में 5 हेक्टेयर तक की वन भूमि पर निर्मित *"रक्षा संबंधी परियोजना या अर्धसैनिक बलों के लिए शिविर या सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं"* को भी छूट दी गई है। EIA से संबंधित अनुपालन प्रक्रिया में इसी तरह की छूट पहले ही लागू की जा चुकी है। इस देश के विधायी इतिहास में पहली बार *"वामपंथी उग्रवाद"* (LWE) शब्द को कानून में एक वैधानिक श्रेणी के रूप में पेश किया गया है। हालाँकि इसे अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, बाद के दिशानिर्देश निर्दिष्ट करते हैं कि ये केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित जिले हैं। गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना और गैर-अधिसूचना जारी की जाती है, लेकिन ऐसे निर्धारण का आधार गोपनीय है।

ऐसा करके, FCA जैसा कथित संरक्षण कानून, उन कठोर कानूनों की दुनिया का हिस्सा बन गया है, जिनके ज़रिए राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में पूरी आबादी और भौगोलिक क्षेत्र को राज्य के कड़े नियंत्रण में लाया जा सकता है। विकास और राष्ट्रवाद को एक समान मानने वाली व्यवस्था में, आदिवासी और जनजातीय इलाकों में बिना किसी जवाबदेही के सैन्यीकृत क्षेत्रों के विस्तार की कल्पना करना मुश्किल नहीं है, जिससे जंगलों के वास्तविक आदिवासी संरक्षक, दीन और शक्तिहीन लोगों में बदल जाएँगे। यह संशोधन भारत के संविधान, वन अधिकार कानून और पेसा कानून के प्रावधानों के साथ-साथ *नियमगिरि* फैसले[3] में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन करता है, जो किसी भी विकास गतिविधि को शुरू करने से पहले ग्राम सभाओं की स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति सहित शासन में भागीदारी को अनिवार्य बनाता है ।

वनों और कार्बन का व्यावसायीकरण

वन संरक्षण एवं संवर्धन नियम, 2023 क्षतिपूरक वनीकरण (compensatory afforestation) के लिए भूमि बैंकों (land bank) के निर्माण को वैधता प्रदान करते

3 *उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन बनाम पर्यावरण और वन मंत्रालय (Orissa Mining Corporation vs. Ministry of Environment and Forests)* (2013) 6 SCC 467.

हैं। ये नियम *मान्यता प्राप्त क्षतिपूरक वनीकरण* (Accredited Compensatory Afforestation) के माध्यम से निजी व्यावसायिक वृक्षारोपण का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिसके तहत निजी कंपनियाँ और संस्थाएँ आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त वन भूमि (degraded forest land), बंजर भूमि (wasteland), और राजस्व भूमि (revenue land) पर वृक्षारोपण कर सकेंगी। इसके मार्फ़त आदिवासी भूमि पर वन विभाग अफसरशाही द्वारा निजी कंपनियों का कब्जा सुगम बनाए जाने, और परिणामस्वरूप सरकार द्वारा आदिवासियों पर अत्याचार और हिंसा में वृद्धि और टकराव को और तीखा बनाएगी।

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (ECA) का संशोधन केंद्र सरकार को *कार्बन क्रेडिट* (carbon credit) व्यापार योजना निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। जो निजी कंपनियाँ और संस्थाएँ कार्बन क्रेडिट का व्यापार करना चाहती हैं, उन्हें ECA के तहत पंजीकृत किया जाएगा। इसके बाद ये कंपनियाँ कार्बन क्रेडिट सीधे वन निवासी समुदायों या ग्राम सभाओं से खरीद सकेंगी, और उनका व्यापार कर सकेंगी। इसी प्रकार, *ग्रीन क्रेडिट* के व्यापार के लिए भी अनुरूप संशोधन पेश किए गए हैं।

कार्बन ऑफसेट (carbon offset) के माध्यम से किया जाने वाला व्यापार एक धोखा है जिसे अंतरराष्ट्रीय पूंजी ने इस उद्देश्य से शुरू किया है कि वह भारत जैसे विकासशील देशों में वनों और जैव विविधता का विनाश जारी रख सकें। यह केवल प्रकृति और पारिस्थितिकी के लिए ही नहीं, बल्कि आदिवासी और वन-निर्भर समुदायों के लिए भी एक गंभीर खतरा है। हर देश और समाज का उद्देश्य होना चाहिए कि वह हमारे वातावरण में उपस्थित *ग्रीनहाउस गैसों* (GHG) को कम करे, क्योंकि इन्हीं के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से *कार्बन-न्यूट्रल* (carbon neutral) दुनिया की ओर संक्रमण एक स्थानीयकृत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए। आदिवासी और वन निवासी समुदायों, तथा उनकी ग्राम सभाओं, की निर्णय प्रक्रिया में प्रमुख भागीदारी होनी चाहिए। परंतु *कार्बन ट्रेडिंग* यह मायाजाल रचती है कि ऐसे विकास कार्य, जिनसे GHG उत्सर्जन

होता है, वे बिना किसी रुकावट के जारी रह सकते हैं, अगर वायुमंडल में कार्बन का व्यापार किया जाए। जो कंपनियाँ कार्बन उत्सर्जन करती हैं (जैसे खननकर्ता और उद्योगपति), वे वन निवासियों से कार्बन क्रेडिट खरीद कर अपने *सामान्य व्यापार* (business as usual) को पहले की तरह ही जारी रख सकती हैं - बिना प्रयास किए कि वास्तव में अपने उत्पादन में GHG को कम करें।

कार्बन क्रेडिट योजना और *ग्रीन क्रेडिट योजना*, दोनों में वन अधिकार कानून और पेसा कानून के तहत आदिवासियों और वन निवासी समुदायों के कानूनी अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं है। इसके विपरीत, यह संशोधन पर्यावरणीय गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के नाम पर वनों, वन संसाधनों, और पर्यावरण संरक्षण के निजीकरण और पर्यावरण सुरक्षा के व्यावसायिकरण का एजेंडा उजागर करते हैं। वास्तव में, ये योजनाएँ ग्राम सभाओं और वन निवासी समुदायों को प्रकृति के विनाश में सहभागी बना देंगी, और इस प्रकार आदिवासी इलाकों में स्वशासन की लोकतांत्रिक संरचना को भी नष्ट कर देंगी।

पर्यावरणीय अपराध और प्रदूषण का मौद्रिकरण

जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण, वायु और जल प्रदूषण, तथा सार्वजनिक दायित्व बीमा (public liability insurance) से संबंधित कानूनों में किए गए लगातार संशोधनों का उद्देश्य इन कानूनों के उल्लंघन के लिए कारावास की सजा को समाप्त करना है। अब इन कानूनों के उल्लंघन पर वित्तीय जुर्माने लगाए जाएंगे, जिन्हें *पर्यावरण संरक्षण कोष* (Environment Protection Fund) नामक एक केंद्रीकृत कोष में जमा किया जाएगा। इन जुर्मानों की राशि निर्धारित करने और कोष के उपयोग, दोनों पर सरकारी नौकरशाहों का पूर्ण नियंत्रण होगा।

यह केवल उन आदिवासी और वन निवासी समुदायों पर हमला नहीं है, जो खनन और अन्य विकास कार्यों के कारण प्रदूषण, जैव विविधता के नुकसान, और वनों के विनाश से प्रभावित होते हैं। बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण के लिए अर्जित न्यायिक सिद्धांतों पर भी खतरा है, जैसे कि *पूर्ण दायित्व* (absolute liability) के सिद्धांत

और *एहतियाती सिद्धांत* (precautionary principle), जो कंपनियों को कानून के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी ठहराने के लिए आवश्यक हैं। *पूर्ण दायित्व* का सिद्धांत उन कंपनियों को उत्तरदायी ठहराता है, जिनकी गतिविधियों के कारण औद्योगिक दुर्घटनाएँ या आपदाएँ होती हैं, चाहे ऐसा उल्लंघन लापरवाही से हुआ हो या जानबूझकर। यह *पूर्ण दायित्व* का सिद्धांत भारत में 1984 की **भोपाल गैस त्रासदी** के बाद पर्यावरण कानूनों में शामिल किया गया था। लेकिन अब इसे धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है।

आज पर्यावरणीय कानूनों में किए गए संशोधन मात्र जुर्माना इकट्ठा करने के लिए एक उपचारात्मक कोष की स्थापना करके पर्यावरणीय अपराधों की आपराधिक जिम्मेदारी निर्धारित करने से पूरी तरह हट कर एक विचित्र विचलन को अंजाम दे रहे हैं। ज़ाहिर है सरकार की पर्यावरणीय आपदाओं या जलवायु परिवर्तन को रोकने की कोई मंशा नहीं है। इसके बजाय, इन हानियों को एक वित्तीय अवसर के रूप में देखा जा रहा है, जिसकी कीमत का भुगतान देश के प्राकृतिक संसाधनों, और उन आदिवासियों व वन निवासियों को करना पड़ेगा, जो सदियों से इन संसाधनों के सच्चे संरक्षक रहे हैं।

आदिवासियों और अन्य वन निवासी समुदायों का सतत अपराधीकरण

2019 में केंद्र सरकार ने *भारतीय वन अधिनियम, 1927* (IFA) में बड़े पैमाने पर संशोधन प्रस्तावित किए थे, जिनका एक उद्देश्य था वन अपराधों के लिए जुर्माने और कारावास की अवधि को बढ़ाना । इन प्रस्तावों के माध्यम से वन विभाग को हथियारबंद करने और उन्हें AFSPA जैसी शक्तियाँ देने का प्रयास किया गया था, जिससे वनों का सैन्यीकरण हो सकता था। देश भर में वन अधिकार आंदोलन और आदिवासी आंदोलनों द्वारा किए गए विरोध के चलते यह खतरनाक कदम सरकार को वापस लेना पड़ा।

चार साल बाद, 2023 में जब *व्यापार की सुगमता* को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरणीय अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जा रहा था, आरक्षित और संरक्षित

वनों में *मामूली* वन अपराधों के लिए कारावास के प्रावधान को हटाने के लिए *भारतीय वन अधिनियम,1927* में संशोधनों को लाया गया। इन संशोधनों का जमीनी स्तर पर कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि अधिकांश राज्य विधानसभाओं ने या तो IFA, या अपने राज्य के वन कानूनों में संशोधन करके, वन अपराधों के लिए कड़े दंड का प्रावधान पहले से किया हुआ है। ये राज्य स्तरीय वन कानून IFA के संशोधन से अप्रभावित हैं। चिंता का विषय यह है कि इस संशोधन में नुकसान के *सामूहिक भुगतान* (collective fine) का सृजन किया गया है। यह सामूहिक भुगतान वन निवासियों के पूरे समुदाय पर लागू हो सकता है जब उनमें से किसी एक ने वन अपराध किया हो। दंडात्मक जुर्माने का ऐसा बेहद कठोर रूप शायद ही भारत के फौजदारी कानून में कहीं पाया जायेगा।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (WLPA) में किए गए संशोधनों ने संरक्षित क्षेत्रों, विशेषकर *टाइगर रिज़र्व्स* के भीतर, वन्यजीव अपराधों (wildlife offences) के लिए सज़ाओं को काफी सख्त बना दिया है। साथ ही, वन अधिकारियों की शक्तियाँ भी बढ़ा दी गई हैं। उदाहरण के लिए, वे अब जिस राशि तक अपराधों का समझौता (compounding) कर सकते हैं, वह ₹25,000 से बढ़ाकर ₹5,00,000 कर दी गई है - यानी 2000% की वृद्धि। यह स्पष्ट है कि जहाँ एक ओर सरकार निजी कॉर्पोरेट संस्थाओं को वनों में बेलगाम विकासात्मक गतिविधियाँ करने की अनुमति दे रही है, वहीं दूसरी ओर वह संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं को मजबूत करने के लिए आदिवासियों और वन निवासियों को *स्वेच्छा से विस्थापन* (voluntary relocation) के लिए मजबूर कर रही है, और यह सब उन्हें अपराधी बनाकर किया जा रहा है। आख़िरकार, आदिवासी और वन निवासी समुदाय ही हैं जो सरकार के विकास एजेंडे और आक्रामक संरक्षण मॉडल, दोनों की सबसे भारी कीमत चुकाते हैं।

निष्कर्ष

ऊपर वर्णित संशोधन यह दर्शाते हैं कि सरकार अब वनों, भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर अपना नियंत्रण मजबूत करने की दिशा में बढ़ रही है, और यह सब बड़े पूंजीपतियों के हित में किया जा रहा है। इन विधायी परिवर्तनों से जुड़े अनेक दस्तावेजों में *व्यापार की सुगमता* को आगे बढ़ाने की आवश्यकता को खुले तौर पर स्वीकार किया गया है। यह संयोग नहीं है कि इन परिवर्तनों के साथ-साथ, सरकार जानबूझकर आदिवासी और वन निवासियों के हित की क़ानूनी व्यवस्था को कमजोर कर रही है। भारत के आदिवासी और वन क्षेत्र इन संशोधनों के माध्यम से सरकार और पूंजी के शिकंजे में कस रहे हैं, जिससे पेसा और वन अधिकार कानून पर, और उनके साथ जुड़ी संवैधानिक लोकतंत्र और सामूहिक शासन की भावना पर भीषण दबाव उत्पन्न हो रहा है। ये सभी संशोधन आदिवासियों, वन निवासियों और अन्य हाशिए पर खड़े समुदायों को अदृश्य बना देते हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह स्वीकृत है कि यही समुदाय वनों की रक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध एक मजबूत कवच हैं।

इस दस्तावेज़ के मुद्रित होने से कुछ दिन पहले ही *पर्यावरण ऑडिट नियम, 2025* (Environment Audit Rules, 2025) अधिसूचित किए गए, जो MOEFCC का अंतिम प्राधिकार बनाए रखते हुए भी तृतीय-पक्ष पर्यावरण ऑडिट को संस्थागत बनाते हैं, इसे *ग्रीन क्रेडिट* जैसे उभरते बाजार-आधारित साधनों के साथ जोड़ते हैं, और अनुपालन-सत्यापन की एक प्रणाली को औपचारिक रूप देते हैं। यह नियम MOEFCC और *नामित पर्यावरण ऑडिट एजेंसी* (Environment Audit Designation Agency) को यह अधिकार देते हैं कि वे ऑडिट प्रक्रिया के क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देश, आदेश और प्रारूप जारी करें। इस प्रक्रिया पर समुदायों और उनकी ग्राम सभाओं की निगरानी हटाकर इसे कॉर्पोरेट क्षेत्र के प्रमाणित ऑडिटरों को सौंप कर, ये नियम वन अधिकार कानून और पेसा कानून के सहभागिता पूर्ण शासन ढांचे को कमजोर करते हैं। FRA अनुपालन को स्पष्ट रूप से शामिल न करने के कारण, ये लोकतांत्रिक निगरानी को कमजोर करते हैं, और FRA द्वारा

सुनिश्चित अधिकार-आधारित सुरक्षा के विपरीत दिशा-निर्देशों के दुरुपयोग की ज़मीन तैयार करते हैं।

लाफार्ज उमियम फैसले[4] में, सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अपने कई वर्षों के अनुभव के आधार पर कई निर्देश जारी किए थे। जिनमें से एक निर्देश सामान्यतः वन एवं पर्यावरण कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय पर्यावरण नियामक निकाय (National Environment Regulatory Authority) की स्थापना करना था। न्यायालय का मानना था कि परियोजना प्रस्तावकों द्वारा वन एवं पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन के कारण सरकार अंततः *पूर्वव्यापी मंजूरी* (ex post facto clearance) प्रदान करने को मजबूर हो जाती है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि ऐसा नियामक तंत्र 6 महीने के भीतर लागू किया जाए। परन्तु 14 वर्ष बीत जाने के बावजूद, ऐसी कोई नियामक व्यवस्था नहीं बन पाई है, और यह सामान्य बात है कि वन मंजूरी (FCA के तहत जारी), वन्यजीव मंजूरी (WLPA के तहत जारी) और पर्यावरण मंजूरी (EIA अधिसूचना, 2006 के तहत जारी) में दर्ज शर्तों का उल्लंघन बेहूदगी से किया जाता है। आज पर्यावरण कानूनों के तहत आपराधिक प्रावधानों के ख़त्म किए जाने के साथ, ऐसे उल्लंघनों पर केवल आर्थिक जुर्माना लगेगा, यदि वे प्रकाश में आ भी जाएँ ।

इस पुस्तक में जिन कानूनों का कालक्रम विवेचन किया गया है, वे विधायिका और कार्यपालिका के शोषण के अशिष्ट और हिंसक रूप को दर्शाते हैं। निस्संदेह, यह चिंता का विषय है, यहाँ तक कि निराशा का भी। साथ ही, यह याद रखना ज़रूरी है कि ज़मीनी स्तर पर, अदालतों के अंदर, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और नौकरशाहों के साथ बहस में, और यहाँ तक कि लोकप्रिय संस्कृति में भी, पैसा और वन अधिकार कानून द्वारा व्यक्त आदिवासी भूमि और जंगलों के लोकतांत्रिक शासन की सोच जल, जंगल, ज़मीन के संरक्षण पर मौजूदा विचार-विमर्श का आधार बन गया है।

---

4 *लाफार्ज उमियम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ* (*Lafarge Umiam Mining Pvt Ltd. vs. Union of India*) (2011) 7 SCC 338. सर्वोच्च न्यायालय की वन पीठ (Forest Bench) *टी.एन. गोदावर्मन थिरुमलपाद बनाम भारत संघ* [WP(C) 202/1995] मामले में वन संबंधी विभिन्न मुद्दों और याचिकाओं पर विचार कर रही है, जिसे पिछले तीन दशकों से निरंतर परमादेश (continuing mandamus) के रूप में माना जाता है।

आदिवासी और वन निवासी समुदायों ने भारत के संविधान, पेसा कानून और वन अधिकार कानून में अपने प्राचीन निवास स्थान, वन, भूमि, प्राकृतिक संसाधन, जैव विविधता, वन्यजीव और पर्यावरण के साथ अपने शाश्वत संबंधों को व्यक्त करने की शब्दावली पाई है। 2013 के *भूमि अधिग्रहण कानून*[5] और 2016 के *SC/ ST अत्याचार निवारण कानून* (संशोधन)[6] जैसे बाद के कानूनों, और *नियमगिरि*[7] तथा *राजस्थान ओरण*[8] जैसे निर्णयों ने इस शब्दावली का समर्थन किया है, जिससे लोकतंत्र और पर्यावरण संरक्षण के लिए सामाजिक आंदोलनों के पास वे सभी साधन उपलब्ध हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। हम अपने देश के इतिहास के एक परिवर्तनकारी दौर में खड़े हैं, विरोधाभास और मंथन के दौर में। आने वाली पीढ़ियाँ हमारा मूल्यांकन कैसे करेंगी, यह इस पर निर्भर है कि हम इस चुनौती का सामना कितनी दृढ़ता और साहस से करेंगे।

5 *भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013* (Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) जिसने *भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894* (Land Acquisition Act, 1892) को निरस्त किया।

6 2016 में *अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989* में संशोधन हुआ, जिसके तहत वन अधिकारों से बेदखली या उनका उल्लंघन अब कानूनी अपराध (अत्याचार) है, और जिसकी कड़ी कारावास की सजा है।

7 ऊपर नोट 3 देखें।

8 *विषय: अमन सिंह, टी.एन. गोदावर्मन थिरुमलपाद बनाम भारत संघ* 2024 SCC Online SC 3778.

आगे की राह

लेखक: सी.आर. बिजॉय

एक लोकतंत्र में कानून और उसके परिवर्तनों का निर्माण समय-समय पर निर्वाचित सरकार पर राजनीतिक दबाव के परिणामस्वरूप होता है। 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के साथ, पूंजी और व्यावसायिक हितों ने सत्ता की गलियारों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में बढ़ती भूमिका निभाई है। *व्यापार की सुगमता* (ease of doing business) धनी और निर्वाचित सरकार का सबसे जोरदार मंत्र बन गया है, जिसे *राष्ट्रीय विकास* के उद्देश्यों के तहत बढ़ावा दिया जाता है। पिछले 35 वर्षों में भारत के विभिन्न क्षेत्रों, जनसंख्याओं और भौगोलिक क्षेत्रों में संरचनात्मक समायोजन (structural readjustment) हुए हैं। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कानून इन प्रक्रियाओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका।

इस कारण से, लोकतंत्र का विस्तार और गहराई, उपनिवेशवाद से मुक्ति, और लोकतांत्रिक तथा जनता-केंद्रित शासन स्थापित करना आवश्यक हो गया है, ताकि जनता गरिमा के साथ जीवित रह सके। 1992 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्वाचित स्थानीय सरकारों को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया, ताकि लोगों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को परिलक्षित किया जा सके। फिर भी, निर्णय लेने की शक्ति और उनके क्रियान्वयन की निगरानी का अधिकार अभी भी प्रशासन और उसके नौकरशाही ढांचे के पास ही है। स्थानीय स्वशासन संस्थाएं अक्सर इन नौकरशाहों और जनता के बीच एक पुल का काम करती हैं, बजाय इसके कि वे वास्तविक स्वशासन करें।

1996 में *पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996* (पेसा कानून या PESA) पांचवी अनुसूची वाले 10 भारतीय राज्यों (मुख्य रूप से मध्य भारत) में लागू किया गया। सामाजिक आंदोलनों के दबाव में कानून बनाने में पेसा कानून एक मील का पत्थर साबित हुआ। पहली बार, प्रशासन और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बजाय, लोगों ने शासन में केंद्रीय भूमिका पायी। पेसा कानून के

दस साल बाद, एक और राष्ट्रीय आंदोलन के परिणामस्वरूप 2006 में *अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम* (वन अधिकार कानून या FRA) लागू हुआ। इसने पेसा कानून के तहत ग्राम स्तर पर स्वशासन और लोकतांत्रिक सहभागिता की केंद्रीयता को और विस्तृत किया; पूरे भारत को मिलाकर वन अधिकार कानून हमारे देश के लगभग एक चौथाई हिस्से पर लागू है। ये कानूनी सुधार समान रूप से 2013 के *भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम* में भी समाहित हुए, जिसने 1894 के औपनिवेशिक *भूमि अधिग्रहण अधिनियम* को समाप्त किया। 2016 में *अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989* में संशोधन किया गया, जिससे वन अधिकारों के उल्लंघन को आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया गया। इन कानूनी सुधारों ने मिलकर देश में स्वशासन के नए युग का आग़ाज़ किया, और स्पष्ट किया कि एक लोकतान्त्रिक संविधान के अंतर्गत वन, भूमि, प्राकृतिक संसाधन और लोगों के शासन का तरीका कैसा होना चाहिए।

स्वाभाविक रूप से, इन परिवर्तनों को जड़ जमाए नौकरशाही और कॉर्पोरेट अभिजात वर्ग के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। हालाँकि वन, खनिज और पर्यावरण से संबंधित नीतिगत और कानूनी बदलावों के माध्यम से इन महान उपलब्धियों को खत्म करने के प्रयास शुरू में विफल रहे, लेकिन 2021 से इनमें तेजी आई है, जैसा कि इस पुस्तिका में प्रमुख घटनाओं के सारणीबद्ध विवरण से पता चलता है। व्यवसायों के लिए भूमि और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच आसान बना दी गई है; वन, खनिज, जल और वायु जैसे प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग से संबंधित अपराधों के लिए गिरफ्तारी और कारावास की जगह अब मौद्रिक जुर्माने का प्रावधान है। एक तरफ ये अपराधी प्रचुर मात्रा में पैसा कमा रहे हैं, और दूसरी ओर अपराधों के मौद्रीकरण को पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल बताया गया है। विकास, वृद्धि, और यहाँ तक कि संरक्षण की आड़ में व्यवसायों के लिए भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण करने, उनका मौद्रिकरण करने, और उन्हें आकर्षक बाजार शर्तों पर उपलब्ध कराने के नए नियमों और योजनाओं का

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से प्रदर्शन किया गया है।

साथ ही, अधिकारों का दावा करने, संसाधनों की लूट को रोकने, और पर्यावरण विनाश का विरोध करने के लिए राजनीतिक उपकरणों के रूप में जन-केंद्रित कानून, जैसे पेसा और वन अधिकार कानून, का उपयोग भी ज़ोर पकड़ रहा है। लोकतंत्र को और गहरा, विस्तारित, और पुनर्गठित करने, और इन जन-केंद्रित शासन और पर्यावरण-समर्थक कानूनों को मजबूत बनाने की ज़ोरदार मांग व्यापक हो रही है। इन मांगों ने देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग रूप धारण किए हैं। *लद्दाख* और *मणिपुर* के पहाड़ी इलाकों में छठी अनुसूची के दर्जे, और मौजूदा *स्वायत्त जिला परिषदों* (Autonomous District Councils) को अधिक स्वायत्तता देने की मांग उभर रही है, या तो संविधान के तहत (जैसे *मेघालय* में), या राज्य कानूनों के तहत (जैसे *पश्चिम बंगाल* में)। इसी तरह पूर्वी *नागालैंड* में भी स्वायत्तता बढ़ाने की मांग उठ रही है। यह चर्चा आगे बढ़कर *झारखंड* और *छत्तीसगढ़* में छठी अनुसूची के शासन पैटर्न को अपनाने सहित पेसा कानून को मजबूत करने की ललकार, और *केरल* में अनुसूचित क्षेत्रों की नई अधिसूचनाओं की मांगों के रूप में प्रकट हुई है।

जन संगठनों, राजनीतिक दलों, मीडिया, वकीलों, कार्यकर्ताओं और विभिन्न क्षेत्रों के अन्य संबंधित लोगों द्वारा, उपलब्ध सार्वजनिक और लोकतांत्रिक गतिविधियों का उपयोग करते हुए, संगठित प्रतिक्रिया में लगातार वृद्धि हो रही है। विभिन्न प्रकार की राजनीतिक सक्रियता और हस्तक्षेप के परिणाम ऐसे रहे हैं कि सरकार को अपने कई जन विरोधी निर्णयों को रद्द करना पड़ा, या उन्हें ठंडे बस्ते में डालना पड़ा।

शब्द संक्षेप (Acronyms)

AFSPA	सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, 1958; Armed Forces Special Powers Act, 1958
AYUSH	आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी
CITES	वन्य जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन; Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
CPCB	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; Central Pollution Control Board
ECA	ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001; Energy Conservation Act, 2001
EIA	पर्यावरण प्रभाव आंकलन; Environment Impact Assessment
EPA	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; Environment (Protection) Act, 1986
EPF	पर्यावरण संरक्षण कोष; Environment Protection Fund
FCA	वन संरक्षण अधिनियम, 1980; वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 1980; Forest (Conservation) Act, 1980
FRA	अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006; Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006
GHG	ग्रीन हाउस गैस; Greenhouse Gas
IFA	भारतीय वन अधिनियम, 1927; Indian Forest Act, 1927
ICFRE	भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद; Indian Council of Forestry Research and Education
LWE	वामपंथी उग्रवाद; Left Wing Extremism
MOEFCC	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार; Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India
MMDRA	खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1956; Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1956
NDA	राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन
NOC	अनापत्ति प्रमाण पत्र; No Objection Certificate
PESA	पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996; Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996
SPCB	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; State Pollution Control Board
WLPA	वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972; Wild Life (Protection) Act,1972

योगदानकर्ता

शोमोना खन्ना भारत के सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यरत वकील हैं। वह लीगल रिसोर्स सेंटर की संस्थापक सदस्य भी हैं, जो कानून, जन संघर्ष और शोध के बीच समन्वय स्थापित करते हुए, आदिवासियों व वननिवासियों के अधिकारों पर केंद्रित वकीलों का एक समूह है।

आस्था सक्सेना एक स्वतंत्र शोध सलाहकार और नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल साइंसेज़ एंड रिसर्च (NALSAR), हैदराबाद में डॉक्टोरल स्कॉलर हैं। उनका कार्यक्षेत्र भूमि सुधार, और आदिवासियों के सामाजिक-आर्थिक अधिकारों से जुड़ा है।

सी.आर. बिजॉय एक कार्यकर्ता, शोधकर्ता, और अधिवक्ता के रूप में प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े संघर्षों और शासन-प्रणालियों के अध्ययन में सक्रिय हैं, और भारत में आदिवासी व वननिवासी समुदायों के अधिकारों की वकालत करते हैं। वे इज्जत से जीने का अधिकार अभियान (Campaign for Survival and Dignity) के सदस्य हैं, जिसके तहत उन्होंने वन अधिकार कानून (FRA) को लागू करवाने के लिए देशव्यापी अभियान का नेतृत्व किया है।

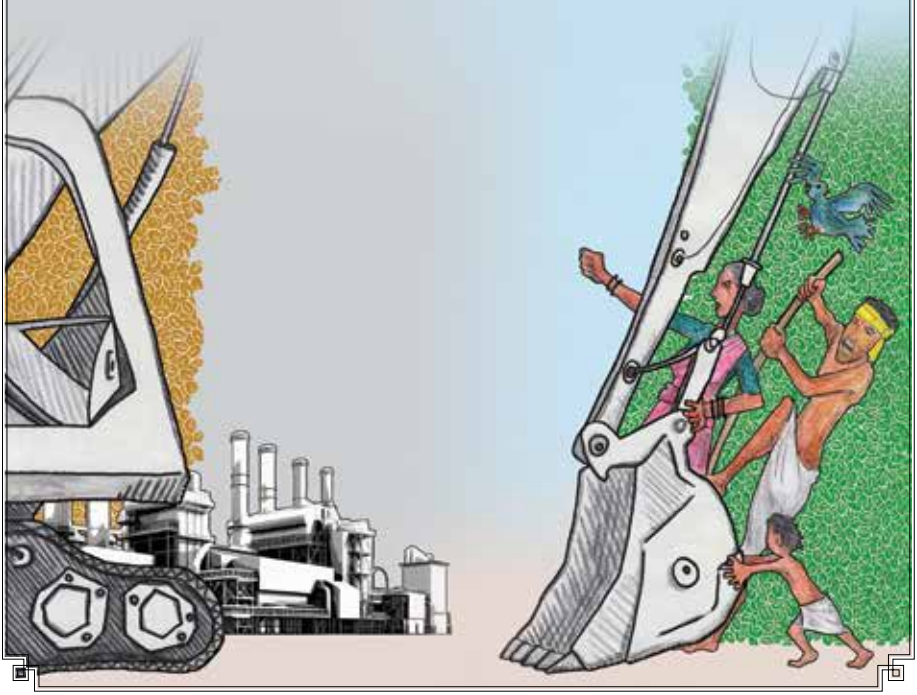

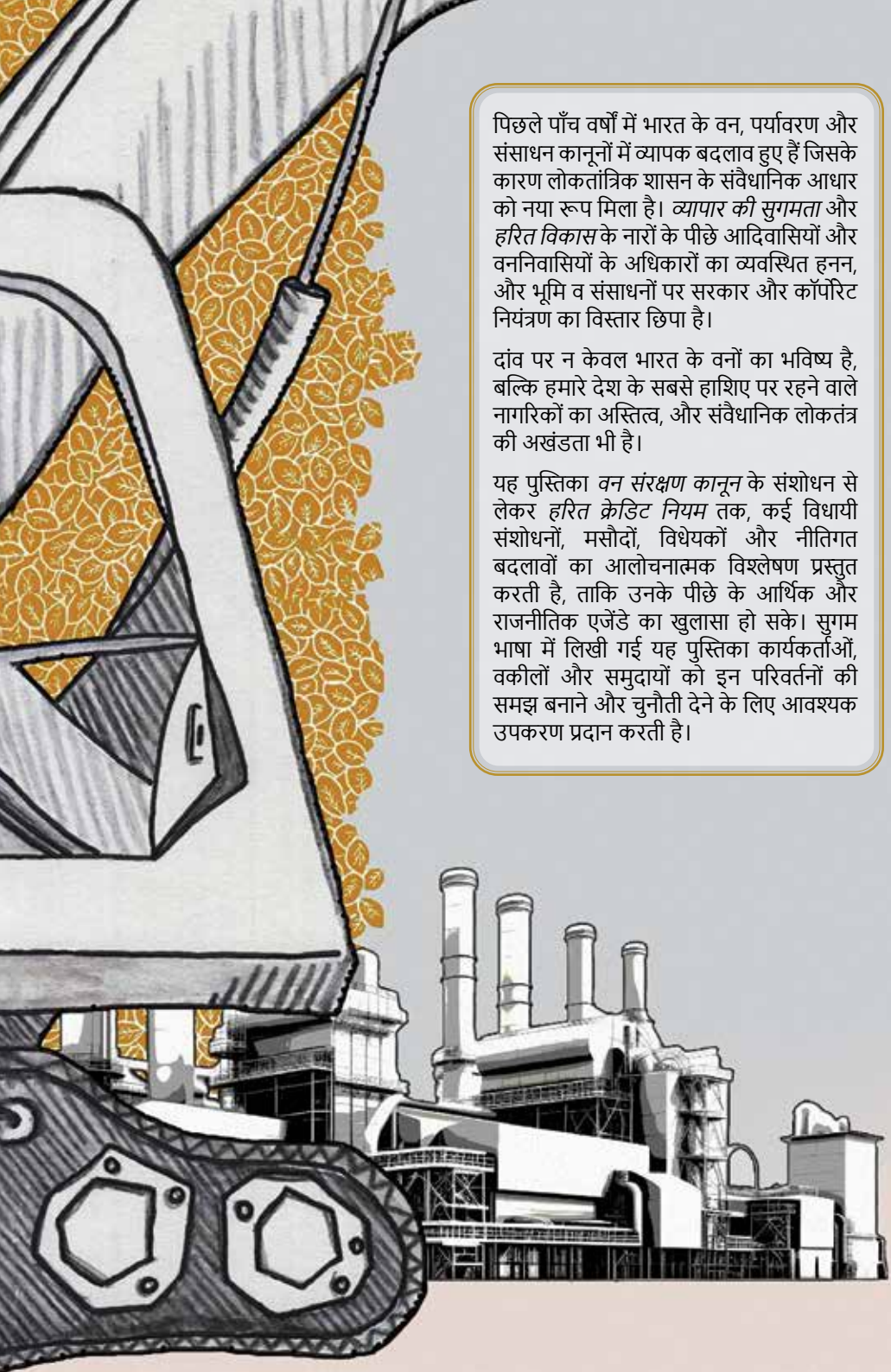

पिछले पाँच वर्षों में भारत के वन, पर्यावरण और संसाधन कानूनों में व्यापक बदलाव हुए हैं जिसके कारण लोकतांत्रिक शासन के संवैधानिक आधार को नया रूप मिला है। *व्यापार की सुगमता* और *हरित विकास* के नारों के पीछे आदिवासियों और वननिवासियों के अधिकारों का व्यवस्थित हनन, और भूमि व संसाधनों पर सरकार और कॉर्पोरेट नियंत्रण का विस्तार छिपा है।

दांव पर न केवल भारत के वनों का भविष्य है, बल्कि हमारे देश के सबसे हाशिए पर रहने वाले नागरिकों का अस्तित्व, और संवैधानिक लोकतंत्र की अखंडता भी है।

यह पुस्तिका *वन संरक्षण कानून* के संशोधन से लेकर *हरित क्रेडिट नियम* तक, कई विधायी संशोधनों, मसौदों, विधेयकों और नीतिगत बदलावों का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करती है, ताकि उनके पीछे के आर्थिक और राजनीतिक एजेंडे का खुलासा हो सके। सुगम भाषा में लिखी गई यह पुस्तिका कार्यकर्ताओं, वकीलों और समुदायों को इन परिवर्तनों की समझ बनाने और चुनौती देने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करती है।